I

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो०-02-14/2012/ 216 /पटना, दिनांक- 07/02/13

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

FAA

विषयः- **पंचायत स्तरीय क्षेत्र सर्वेक्षण एवं गेहूँ फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन के सम्बंध में।**

प्रसंगः- निदेशालय का ज्ञापांक-1306 दिनांक-07.08.2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के क्रम में कहना है कि कृषि वर्ष 2012 13 के रब्बी मौसम में पंचायत स्तरीय क्षेत्र सर्वेक्षण एवं गेहूँ फसल कटनी प्रयोग सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य पात्रता परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण ASV को प्रखंड स्तरीय मेधाक्रमानुसार पंचायत आवंटित कर कराया जाना है।

प्रखण्ड/अंचल स्तर सम्पादित कराये जाने वाले गेहूँ फसल का कटनी प्रयोग स्थगित रहेगा, परन्तु अन्य रब्बी फसलों का कटनी प्रयोग पूर्व की भांति सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी प्रखण्ड/अंचल में किसी कारण से सभी पंचायतों में गेहूँ फसल का कटनी प्रयोग सम्पादित कराना संभव नहीं हो, वैसी स्थिति में अंचल स्तरीय कटनी प्रयोग सम्पादित कराया जायेगा। ध्यातव्य हो कि किसी भी स्थिति में किसी प्रखंड/अंचल में आंशिक पंचायत स्तरीय एवं आंशिक अंचल स्तरीय कटनी प्रयोग सम्पादित नहीं किया जायेगा। फसल क्षेत्र सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण कार्य कृषि सांख्यिकी के कार्यादेश के आलोक में प्रत्येक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यादेश में दिये गये निदेश के आलोक में खेसरा पंजी का संधारण कराकर जिन्सवार एवं तत्संबंधी सभी विवरणयों के साथ ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद संधारित खेसरा पंजी को जिला सांख्यिकी कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा ताकि भ्रमण के दौरान उच्चधिकारियों द्वारा किसी भी समय इसकी जाँच की जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश के आलोक में कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव।

Shweta(117)04.02.13

ज्ञापांक- 216 दिनांक- 07/02/13

प्रतिलिपि-

1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/13

प्रधान सचिव।

Shweta(117)04.02.13

335